विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 20 नवम्बर, 2023

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–18/2023–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 13) को दिनांक 16–11–2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

——————

2023 का अधिनियम संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 16 नवम्बर, 2023 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2023 है।

2. धारा 3 का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 3 में, —

(i) उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यांत्रिक यान या छकड़ा के माध्यम से सड़क द्वारा वहन किए गए अनुसूची—1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार के माल पर अनुसूची—1 के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।"।

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title .

2. Amendment of Section 3.

——————

Act No. 13 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 16TH NOVEMBER, 2023)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.— This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2023.

2. Amendment of Section 3.—In Section 3 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act,1999;

(i) in sub-section (1), for the words "except railways and airways", the words "at the rates as specified in column (3) of Schedule-I" shall be substituted; and

(ii) sub-section (2) shall be omitted.